29/7/24

पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली तलबी होकर प्राप्त नहीं अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद। अतः तलबी के अभाव में पत्रावली O9 R5 CPC के तहत खारिज की जाती है। फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:28:49 IST
Reason: SelfAttested